रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2014/भाद्र 31, 1936
No. 492] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2014/BHADRA 31, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 680(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के साथ परामर्श से, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) व्यवसाय शिक्षुओं को संदेय प्रतिमास न्यूनतम वृत्तिका निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	:	संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्द्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 70 प्रतिशत
(ख) प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	:	संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्द्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 80 प्रतिशत
(ग) प्रशिक्षण के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान	:	संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्द्ध-कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 90 प्रतिशत:

परंतु उस दशा में जहां राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी व्यवसाय में मजदूरी की न्यूनतम दर अधिसूचित नहीं है, तब, ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अर्द्ध कुशल कर्मकारों के लिए अधिसूचित अनुसूचित रोजगार की न्यूनतम मजदूरी के अधिकतम को उस व्यवसाय में वृत्तिका के संदाय के लिए गणना में लिया जाएगा :

परंतु यह और कि अधिनियम की धारा 6 के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मान्यता दिए गए किसी विद्यालय या अन्य संस्था में पहले ही लिए गए प्रशिक्षण की अवधि को संदेय वृत्तिका की दर के अवधारण के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा"।

[सं. डीजीईटी-23(3)(3403)/2014-एपी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, तारीख 1 अगस्त, 1992 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 158(अ), तारीख 4 मार्च, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2014.

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Second Amendment) Rules, 2014.—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:—

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, for sub-rule (1) of rule 11, the following shall be substituted, namely:—

"(1) The minimum rate of stipend per month payable to trade apprentices shall be follows, namely:—

(a)	During the first year of training	:	Seventy per cent. of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory
(b)	During the second year of training	:	Eighty per cent. of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory
(c)	During the third and fourth year of training	:	Ninety per cent. of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory:

Provided that in the case where the minimum rate of wage for a trade is not notified by the State Government or Union territory, then, the maximum of minimum wages of the Scheduled Employment notified by such State Government or Union territory for semi-skilled workers shall be taken into account for paying the stipend in respect of that trade:

Provided further that in the case of trade apprentices referred to in clause (a) of Section 6 of the Act, the period of training already undergone by them in a school or other institution recognised by the National Council, shall be taken into account for the purpose of determining the rate of stipend payable".

[No. DGET-23(3)(3403)/2014-AP]

ALOK KUMAR, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 vide notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended vide notification number G.S.R. 158(E), dated the 4th March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.